न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, बिजयनगर

राजस्व वाद पत्र सं0 26/2012

श्रीमती फूला पत्नी सुबान आयु 39 साल जाति मेहरात निवासी चिताड बाडिया जालकी वाला, तहसील रायपुर जिला पाली (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबू वल्द सरदारा जाति मेरात आयु 75 साल
2. नारायण वल्द सरदारा जाति मेरात आयु 65 साल
3. देवी वल्द सरदारा जाति मेरात आयु 60 साल
   निवासी जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. ललित कुमार पुत्र श्री चतुर्भुज कुमावत आयु 50 साल निवासी बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. रोहित पुत्र श्री अमरचन्द कुमावत आयु 18 साल, निवासी बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक नायब तहसीलदार व उपपंजीयक बिजयनगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।

—— अप्रार्थीगण

वाद वास्ते विभाजन कृषि भूमि अन्तर्गत धारा 53, 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :– दिनांक 01.06.2016

इस वाद पत्र में वादिया ने सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा स0 1685/1 रकबा 03–00–00 व 1704 रकबा 01–10–00 व 1705 रकबा 04–00–00 व 1706 रकबा 05–00–00 व 1707 रकबा 02–05–00 व 1708 रकबा 01–15–00 तथा 1710/1 रकबा 01–00–00 कुल किता 7 रकबा 18–10–00 बीघा भूमि वादिया की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां हैं तथा खसरा न0 1685 रकबा 06–00–00 व 1710 रकबा 01–01–00 व 1706/2 रकबा 00–17–00 व 1706/6525 रकबा 01–08–00 तथा 1707/1 रकबा 00–19–10 में प्रतिवादी सं0 1 से 3 खातेदार काश्तकार चले आ रहे है जिन पर पक्षकारान मनबटनी से काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन विधिक रूप से जरिये माप एवं सीमांकन उनका मौके एवं राजस्व नक्शे में विभाजन नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य हिस्से को लेकर विवाद होता रहता है। बावजूद इसके प्रतिवादी सं0 1 ने अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 4 व 5 को दिनांक 19.12.2011 को बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 दिनांक 18.01.2012 वादग्रस्त अराजी पर आये और जबरन वादिया के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा कर उसे बेदखल करने लगे। प्रतिवादी सं0 1 ने धमकी दी है कि विवादित अविभाजित अराजी को अन्य स्ट्रेन्जर व्यक्ति प्रतिवादी सं0 4 व 5 को कब्जा संभला कर रहूंगा यदि प्रतिवादी इसमें असफल रहा तो मौके पर शान्ति भंग होने की संभावना बढ जायेगी। कानूनन जब तक सीमांकन द्वारा नक्शे में विभाजन नही हो जाये सहखातेदार सहखातेदार की भूमि को अन्तरित नहीं कर सकता और न ही स्ट्रेन्जर व्यक्ति को कब्जे में ला सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 से 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे कि तब तक विभाजन होकर नक्शे में तरमीम न हो जाये तब तक प्रतिवादी सं0 4 व 5 वादग्रस्त अराजी या उसके किसी भाग से वादिया को बेदखल कर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित अराजियात जो पद सं0 1 में दर्शाई गई है का सीमांकन कर राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जावे तथा वादिया के हिस्से की भूमि वादिया को दिलवाई जावे और यह

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 जब तक विवादित अराजी का जरिये सीमांकन विभाजन होकर नक्शे में तरमीम नही हो जावे स्ट्रेन्जर व्यक्ति प्रतिवादी सं0 4 व 5 को कब्जा संभलाने का अधिकारी नहीं है। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं0 2 व 3 को निषेध किया जावे कि जब तक विवादित अराजी का सीमाकंन से विभाजन होकर नक्शे में तरमीम न हो जावे। वादिया को बेदखल कर कब्जा न करें तथा विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2011 से विक्रय की गई अराजी का कब्जा प्रतिवादी सं0 4 व 5 को नहीं संभलाया जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प जालिया द्वितीय पर पेश हुई वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 अपने-अपने अभिभाषकगण के साथ उपस्थित आये। सभी को सुना गया। पक्षकारान विधिक रूप से विभाजन कर नक्शे में तरमीम के लिए सहमत हुए। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि खसरा न0 1785/1 व 1785 तथा 1706 व 1706/2 तथा 1706/6525 एवं 1707 व 1707/1 राजस्व मानचित्र में खसरा न0 1785 व 1706 व 1707 से ही दर्शित हैं जिनकी भिन्न नम्बरानुसार पृथक-पृथक तरमीम अंकित नहीं है। उनमें से 1785/1 व 1706/2 व 1706 तथा 1707 तो वादिया की खातेदारी में है तथा 1785 व 1706/6525 एवं 1707/1 वर्तमान में प्रतिवादी सं0 4 व 5 की खातेदारी में दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादिया आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादिया प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार बिजयनगर पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वह विवादित अराजी खसरा न0 1785, 1706 तथा 1707 का मौके पर उनके बटानम्बर अनुसार जरिये माप एवं सीमांकन कर नक्शे में सभी नम्बरों की पृथक-पृथक तरमीम अंकित करें तथा बटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है कि वे वादिया के हिस्से आने वाली अराजी से उसे बेदखल नहीं करे न करावे तथा न ही उसके कब्जे काश्त में दखलदांजी करे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बिजयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 16:17:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: